"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ज्ञान यादव (Gyan Yadav) पिता श्री प्रेमलाल यादव (Premlal Yadav), निवासी-मकान नं. 58, वार्ड नं. 5, मोबाईल टावर के पास, बड़े पुरदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अंकसूची एवं पेन कार्ड में मेरा नाम गैंद सिंह पिता प्रेमलाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ज्ञान यादव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ज्ञान यादव पिता श्री प्रेमलाल यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

गैंद सिंह (Gaind Singh)
पिता श्री प्रेम लाल (Prem Lal)
निवासी- मकान नं. 58, वार्ड नं. 5,
मोबाईल टावर के पास, बड़े पुरदा,
ग्राम-बड़े पुरदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) 491001

नया नाम

ज्ञान यादव (Gyan Yadav)
पिता श्री प्रेमलाल (Premlal Yadav)
निवासी- मकान नं. 58, वार्ड नं. 5,
मोबाईल टावर के पास, बड़े पुरदा,
ग्राम-बड़े पुरदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) 491001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन लाल साहू पिता श्री लाल जी साहू, आयु 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-19 जी, सड़क एवन्यू-बी, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम मोहन लाल दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है तथा मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा पूरा नाम मोहन लाल साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम मोहन लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहन लाल साहू पिता श्री लाल जी साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोहन लाल
पिता श्री लाल जी
निवासी-क्वा. नं.-19 जी, सड़क एवन्यू-बी,
सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मोहन लाल साहू
पिता श्री लाल जी साहू
निवासी-क्वा. नं.-19 जी, सड़क एवन्यू-बी,
सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, येकेश्वर लाल साहू पिता स्व. श्री सुखचैन, आयु 51 वर्ष, निवासी-ग्राम व पो. फेकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम येकेश्वर लाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा पूरा नाम येकेश्वर लाल साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम येकेश्वर लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे येकेश्वर लाल साहू पिता स्व. सुखचैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

येकेश्वर लाल
पिता स्व. सुखचैन
निवासी-ग्राम व पो. फेकारी, तहसील पाटन,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

येकेश्वर लाल साहू
पिता स्व. सुखचैन
निवासी-ग्राम व पो. फेकारी, तहसील पाटन,
जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुकृत दास गोस्वामी पिता स्व. जगजीवन दास गोस्वामी, आयु 51 वर्ष, निवासी-पुरानी बस्ती कोहका, बिजली आफिस के पीछे, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम सुकृत दास दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा पूरा नाम सुकृत दास गोस्वामी दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "गोस्वामी" जोड़कर नया नाम सुकृत दास गोस्वामी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुकृत दास गोस्वामी पिता स्व. जगजीवन दास गोस्वामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुकृत दास
पिता जगजीवन दास
निवासी-पुरानी बस्ती कोहका, बिजली आफिस के पीछे,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुकृत दास गोस्वामी
पिता स्व. जगजीवन दास गोस्वामी
निवासी-पुरानी बस्ती कोहका, बिजली आफिस के पीछे,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव (Arvind Kumar Shrivastava) पिता स्व. व्ही. एन. श्रीवास्तव, आयु 44 वर्ष, निवासी-सांई छाया, प्लांट नं. 7, पुष्पक नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम मनु श्रीवास्तव (Manu Shrivastava) दर्ज किया गया है जबकि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं आधार कार्ड में उसका नाम अमेय श्रीवास्तव (Amey Shrivastava) दर्ज किया गया है जो सत्य व सही है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अमेय श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को अमेय श्रीवास्वत पिता श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मनु श्रीवास्तव (Manu Shrivastava)
पिता श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
निवासी-"सांई छाया", प्लाट नं. 7, पुष्पक नगर
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अमेय श्रीवास्तव (Amey Shrivastava)
पिता श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
निवासी-"सांई छाया", प्लाट नं. 7,
पुष्पक नगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

कुलनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रतीक राजदेव पिता श्रीचंद अठवानी, उम्र 21 वर्ष, निवासी-ईदगाहभाठा, लाखेनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे प्रतीक अठवानी पिता श्रीचंद अठवानी कहा जाता था. मैं अपने कुलनाम "अठवानी" को परिवर्तित कर नया कुलनाम प्रतीक राजदेव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रतीक राजदेव पिता श्रीचंद अठवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रतीक अठवानी
पिता श्रीचंद अठवानी
निवासी-ईदगाहभाठा, हिन्द स्पोर्टिंग मैदान के सामने,
लाखेनगर रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

प्रतीक राजदेव
पिता श्रीचंद अठवानी
निवासी-ईदगाहभाठा, हिन्द स्पोर्टिंग मैदान के सामने,
लाखेनगर रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीलिमा करमाकर पति श्री रोहित कुमार करमाकर, उम्र 22 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6/22, हनुमान नगर, तितुरडीह दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दीपिका राकेश पिता श्री जयचंद राकेश, निवासी-ग्राम रोहरा, तहसील व जिला मुंगेली था. तथा यही नाम मेरे आवश्यक अभिलेख में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 30-4-2015 को श्री रोहित कुमार करमाकर पिता श्री शोभित राम करमाकर, निवासी-तितुरडीह दुर्ग के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीलिमा करमाकर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती नीलिमा करमाकर पति श्री रोहित कुमार करमाकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. दीपिका राकेश
पिता श्री जयचंद राकेश
निवासी-ग्राम रोहरा
तहसील व जिला मुंगेली (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती नीलिमा करमाकर
पति श्री रोहित कुमार करमाकर
निवासी-क्वा नं.-6/22, हनुमान नगर,
तितुरडीह दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वीरभद्र शाह पिता स्व. सी. के. राजन, निवासी-बी-204, ग्रीन हाईट्स, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुबोध राजन आ. स्व. सी. के. राजन था तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शासकीय तथा गैर शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम वीरभद्र शाह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे वीरभद्र शाह पिता स्व. सी. के. राजन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुबोध राजन
पिता स्व. सी. के. राजन
निवासी-बी-204, ग्रीन हाईट्स, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

वीरभद्र शाह
पिता स्व. सी. के. राजन
निवासी-बी-204, ग्रीन हाईट्स, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुचिस्मिता बराल पिता श्री आर. के. बराल उम्र 18 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शाला अभिलेख, विभागीय व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम शुचिस्मिता बराल (Shuchismita Baral) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शुचि बराल (Shuchi Baral) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अत: अब मुझे शुचि बराल पिता श्री आर. के. बराल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शुचिस्मिता बराल (Shuchismita Baral)
पिता श्री आर. के. बराल
निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शुचि बराल (Shuchi Baral)
पिता श्री आर. के. बराल
निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आर. के. बराल पिता श्री बी. के. बराल, उम्र 54 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के शाला अभिलेख, विभागीय व अन्य दस्तावेजों में उसका नाम मृण्मय कुमार बराल (Mrinmoy Kumar Baral) दर्ज है. मैं अपने पुत्र के नाम को परिवर्तित कर नया नाम मृण्मय बराल (Mrinmoy Baral) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अत: अब मेरे पुत्र को मृण्मय बराल पिता श्री आर. के. बराल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मृण्मय कुमार बराल (Mrinmoy Kumar Baral)
पिता श्री आर. के. बराल
निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मृण्मय बराल (Mrinmoy Baral)
पिता श्री आर. के. बराल
निवासी-प्लाट नं. 19, सड़क 1-ई,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती बबली ताम्रकार ध. प. श्री पवन कुमार ताम्रकार, उम्र 62 वर्ष, निवासी- म. नं.-32, वार्ड क्र.-11, शंकर नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं जिला न्यायालय दुर्ग में सहायक वर्ग-2 के तहत कार्यरत रहते हुए वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुई हूं. मेरा सही नाम श्रीमती बबली ताम्रकार है तथा यही नाम मेरे स्कूल पंजी व अंकसूची एवं विभाग के रिकार्ड में लिखा गया है. लेकिन कई जगहों जैसे आधार कार्ड, निर्वाचन नामावली, गैस कनेक्शन में मेरा नाम सुनिती ताम्रकार व सुनीता ताम्रकार लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती बबली ताम्रकार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती बबली ताम्रकार पति श्री पवन कुमार ताम्रकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुनिती ताम्रकार उर्फ सुनीता ताम्रकार
ध. प. पवन कुमार ताम्रकार
निवासी-म. नं.-32, वार्ड क्र.-11, शंकर नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती बबली ताम्रकार
ध. प. पवन कुमार ताम्रकार
निवासी-म. नं.-32, वार्ड क्र.-11, शंकर नगर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदामा प्रसाद आत्मज स्व. लोचन प्रसाद, उम्र 60 वर्ष, जाति कायस्थ, निवासी म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं निवृत्त कर्मचारी हूं. मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम सुदामा नायक लिखा हुआ है. मैं अपने उपनाम "नायक" को परिवर्तित कर नया नाम सुदामा प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुदामा नायक पिता स्व. लोचन प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुदामा नायक
पिता स्व. लोचन प्रसाद
निवासी-म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुदामा प्रसाद
पिता स्व. लोचन प्रसाद
निवासी-म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवेन्द्र कुमार गोलछा वल्द हेमचंद जी गोलछा, उम्र 47 वर्ष, निवासी-कालेज रोड, महासमुन्द, तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कई दस्तावेज में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार जैन वल्द श्री हेमचंद जैन भूलवश अंकित हो गया है जबकि मेरे बैंक खाता, शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेज में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार गोलछा वल्द हेमचंद जी गोलछा अंकित है. मैं अपने उपनाम "जैन" को परिवर्तित कर नया नाम देवेन्द्र कुमार गोलछा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे देवेन्द्र कुमार गोलछा वल्द हेमचंद जी गोलछा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

देवेन्द्र कुमार जैन
वल्द हेमचंद जैन
निवासी-कालेज रोड, महासमुन्द
तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.)

नया नाम

देवेन्द्र कुमार गोलछा
वल्द हेमचंद जी गोलछा
निवासी-कालेज रोड, महासमुन्द
तहसील व जिला महासमुन्द (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक के समक्ष]

दुर्ग, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्रमांक/1622//प्र. 2/अ. वि. अ./2016.— यत: कि इस न्यायालय में श्री ललित कुमार यादव आ. श्री नारायण यादव निवासी क्वा. नं. 2 बी, सड़क 17, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "श्री राधेकृष्ण देवभूमि ट्रस्ट" के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 12-09-2016 को विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री राधेकृष्ण देवभूमि ट्रस्ट" क्वा. नं. 02 बी, सड़क 17, सेक्टर-04, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग
(2)	चल संपत्ति	:	5,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.